Central Water Commission
(Estt. IX Section)
****

Room No. 308(S), Sewa Bhawan
R K Puram, New Delhi 110606

Sub: Gazette Notification dated 07.01.2015 in respect of Central Water Commission, Accounts Officer, Recruitment Rules 2002

The Recruitment Rules of Central Water Commission, Accounts Officer, Recruitment Rules 2002 has been notified by Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on 07.01.2015. A copy of the same is being sent as per practice to O&M Section, CWC Library and for uploading it in the website of employee corner in CWC website.

This issues with the approval of Dir (Estt. 1)

Encl: as above (1 nos)

S M Sundaram 01/05/2015

(S M Sundaram)
Section Officer (Estt. IX)
Tel: 26100418

Under Secretary (O&M), CWC, New Delhi
CWC ID Note No. No. 7/1/2014-Estt. IX/1511-13 dated: 30.04.2015

Copy with enclosure to:-

1. Library & Information Bureau (L&IB), CWC, New Library Building, R K Puram, New Delhi – with a request to keep copy of notification for safe keeping.
2. DD (SMD), CWC, New Delhi – with a request to upload the same in employee corner of CWC website for wide publicity.

06/05/15
JE

SMD अनु./Sec./नि./
डा. सं./Dy. No. 959
दिनांक/Date 06/05/15

KRJ Accounts Officer 1 of 5

(6)
submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and Confirmation). (i) Director or Deputy Secretary (Administration) —Chairman (ii) Under Secretary, (Establishment) —Member (iii) Honorary Secretary, (Canteen) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/1/2014-Estt.-III]

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 4 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल आयोग लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, लेखा अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

FROM : FAX NO. :4 27 Apr. 2015 1:07PM P1

RRs for Accounts officer 2015 2/5

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखा अधिकारी	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600–39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6,600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति:-- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संगठित लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, (15,600--39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 5,400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित में से एक अर्हताएं हैं (संगठित लेखा सेवा से भिन्न केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों की दशा में लागू होंगी।):-

R Roy. A/cs Officer 3 of 5

(11)

(i) केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधिनस्थ लेखा सेवा या कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा या समतुल्य परीक्षा में पास;

(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो अथवा केन्द्र सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय अथवा विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पांच वर्ष का अनुभव सहित अर्हित चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखांकर अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात (एम.बी.ए) (वित्त) हों।

टिप्पण 1:–प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:–प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:–प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उससे जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 01/2015, फा. सं. 35/30/2009–स्थापना एक]

ए. के. कौशिक, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 7th January, 2015

G.S.R. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water Commission Accounts Officer, Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Accounts Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

RRs for Accounts Officer, Ag.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3, (₹15,600—39,100) and Grade Pay Rs. 6,600.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Organised Accounts Service,— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3 (Rs. 15,600—39,100) and grade pay of Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department; and

27 Apr. 2015 1:09PM P4 FAX NO. :4 FROM :